न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 71/14 GCMS NO 2014/00221

1. कल्याण उर्फ रामकल्याण पुत्र अर्जुन
2. सुरज्ञानी पत्नि कल्याण जातियान गुर्जर निवासीयान बिलोली नदी तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूँगर
2. रूपनारायण पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूँगर
3. भम्बल पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूगर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 46/12 निर्णय व डिकी दिनांक 31.10.14 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूगर)

अभिभाषक अपीला0 श्री सत्येन्द्र कुमार गौयल
अभिभाषक रैस्पो0 2 की और से पैरोकार सरकार
रेस्पो0 2 व 3 की और से कोई उपस्थित नही

दिनांक 21.10.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णयव डिकी दिनांक 31.10.14 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूँगर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0संख्या 1/वादी तहसीलदार द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस अ आशय का पेश किया कि भूमि ख0न0 763 रकबा 0.29 है0 सम्पूर्ण ग्राम बाढ बिलोली मे अपीलांट व रेस्पो0संख्या 2 व 3 द्वारा अवैध रूप से बजरी संग्रहण कार्य मे उपयोग किया जा रहा है जो धारा 177 आर टी एक्ट के तहत अवैधानिक है खातेदार द्वारा यह अवैधानिक कार्य किया जा रहा है। खातेदारी अपनी कृषि भूमि मे केवल कृषि कार्य ही कर सकता है, परन्तु खातेदार द्वारा भूमि का संपरिवर्तन कराये बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिना बजरी संग्रहण कार्य किया जा रहा है। जो अवैधानिक है। जौ अवैधानिक है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:31:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वादी/तहसीलदार का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो० संख्या 2 व 3 बावजूद तामिल के उपस्थित नही हुए। बहस अपीलांट अधिवक्ता एवं सरकार पैराकार की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह अपीलाट को वादी व उसके गवाहान से जिरह करने का मौका देती लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने वादी व उसके गवाहान को जिरह करने का मौका दिये बिना वादी को गवाह का मुख्य परीक्षण कराकर साक्ष्य पूर्ण कर ली जो विधि के सिद्वान्त व नेचूरल जस्टिस के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए था। अपीलांट आराजी ख0न0 763 रकबा 0.29 है0 के खातेदार काश्तकार है। अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग काश्त के लिए करता है। अपीलांट द्वारा अपनी भूमि पर कभी बजरी का संग्रहण नही किया है। गवाह ने भी वर्तमान मे बजरी का कोई संग्रहण कार्य नही करना स्वीकार किया है। आराजी ख0न0 763 रकबा 0.29 है0 के संबंध मे गवाह धर्मसिह गुर्जर द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नही की। रिपोर्ट कर्ता गवाह के रूप मे उपस्थित नही हुआ है। बिना रिपोर्ट कर्ता की साक्ष्य के अदालत मातहत ने अपीलांट को बजरी संग्रहण कर्ता मानकर भूल की है। आराजीयात ख0न0 763 मे बजरी संग्रहण होने की कोई गिरदावरी भी नही है। धारा 177 के तहत अपीलांटान की खातेदारी समाप्त करने का कोई प्रावधान नही है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त फरमाया जावे।

जबाब मे पैरोकार सरकार ने कथन किया अपीलांट द्वारा अवैध रूप से बजरी के संग्रहण करने के कारण ही पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.8.12 को बजरी के संग्रहण किये जाने की रिपोर्ट पेश की गई है जो पटवारी हल्का चक बिलोली धर्म सिह पुत्र नादान सिह गुर्जर के बयान दिनांक 24.7.14 से स्पष्ट है। जिसके आधार पर वादी/तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया है। तत्पश्चात अपीलांट एवं रेस्पो० संख्या 2 व 3 को मौके से बेदखल करने किये जाने या इस संबंध मे जबाब प्रस्तुत करने के नोटिस अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 4.10.12 को नोटिस जारी किये गये है। जिसमे अपीलांट व रेस्पो0संख्या 2 व 3 की और से जरिये अधिवक्ता जबाब पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई है। अपीलांट/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे साक्ष्य नही कराने हेतु मना किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गई है। मौके पर अवैध संग्रहण अपीलांट द्वारा किये जाने पर वादी/तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे भूमि को रिसिवरी मे लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने रिसिवर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि पर तहसीलदार का वाद के निस्तारण तक रिसीवरी मे लेने के आदेश प्रदान किये गये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि को अकृषि प्रयोंजनार्थ किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:31:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

के कारण ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि भूमि ख0ल0 763 रकबा 0.29 है0 ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारना डूँगर पर अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 द्वारा अवैध रूप से बिना किसी सक्षम स्वीकृति के बजरी का खनन करने के कारण ही पटवारी हल्का द्वारा उनके विरूद्व रिपोर्ट तहसील कार्यालय मलारना डूँगर मे की गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ही तहसीलदार/वादी द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया है। वाद पत्र पेश करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी द्वारा बेदखल एवं वाद पत्र मे जबाब पेश करने बाबत नोटिस जारी किया गया था। जिसमे अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब पेश किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि प्रकरण मे रिपोर्टकर्ता के बयान दर्ज नही किये गये है जबकि अधिनस्थ न्यायालय मे पटवारी हल्का धर्म सिह गुर्जर के बयान पत्रावली मे संलग्न है। अपीलांट का कथन रहा कि अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 21.10.14 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य कराने से मना करने के उपरान्त ही साक्ष्य बंद की गई है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात पर बजरी के संग्रहण नही करने बाबत किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र ना तो इस न्यायालय मे पेश किया है ना ही अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के भूमि पर बजरी का संग्रहण किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियमो की अवहेलना की श्रेणी मे आता है। अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय द्वारा साक्ष्य सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु0नं0 46/12 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.14 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:31:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner